## राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्मांकः प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 10.04.2020

## आदेश

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विरष्ट नागरिक एवं अन्य रोगी जिनकी Chronic Diseases की नियमित दवाएं चलती है, वह कोरोना वायरस (COVID-19) के मध्यनजर राजकीय चिकित्सक से परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अथवा अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे मरीजों को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को देखते हुए एक फरवरी, 2020 या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार नियमित दवाएं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जावें। चिकित्सकीय परामर्श की पर्ची की दवा राज्य के किसी भी अस्पताल सीएचसी पीएचसी से प्राप्त की जा सकती है।

साथ ही राजस्थान राज्य के समस्त कैमिस्टों को निर्देशित किया जाता है कि वह 01 फरवरी, 2020 के बाद से मरीज के चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार पर जो दवायें उन्हें नियमित रूप से दिया जाना आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जावें तथा चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) पर "दवा उपलब्ध करवा दी गई" लिखते हुए अपनी मोहर भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

उक्त आदेश राज्य में लॉक डाउन समाप्त होने पर स्वतः ही निष्णुभवी माने जावें।

(रोहित कुमार सिंह) अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
- 2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
- 3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4. निजी सिवव, शासन सिवव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- 5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राज. जयपुर।
- 7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
- 8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
- 9. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
- 10. औषधि नियन्त्रक, प्रथम / द्वितीय, औषधि नियन्त्रण संगठन, राज. जयपुर
- 11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
- 12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 13. कैमिस्ट एसोसियेशन, राज. जयपुर
- 14. निज़ी /रक्षित पत्रावली

(संजय कमार)

शासन उप सचिव /८ 42cli



## JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

Office: Room no. 3, Old Power House Premises, Near Ram Mandir,

Banipark, Jaipur- 302006. Email: caoia@jvvnl.org/Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F14 D. 2.5.5

Jaipur, dated: -28/05/2021

	28 2   25   25   26 2
Copy s	ubmitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their tion and control: -
) 15 G1C	
1.	The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), JPD,
2.	The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer IPD Jaiour
3.	The Dy. Chief Engineer ( ), JPD,
4.	The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5.	The Secretary (Admn.)/Company Secretary, IPD, Jaipur.
6.	The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
, 7.	The Sr. Accounts Officer ( )/ Dy. Director of Personnel ( ), JPD,
8.	The Superintending Engineer ( ), JPD,
9.	The Superintending Engineer (7), 4FD,
•	The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10.	The Accounts Officer/A and A
11.	P. A to the Accountant General (T. P. B. G.
12.	P.A to the Accountant General (E&R Sector Audit), O/o Principal AG Rajasthan, Jaipur. P.A to the Chairman & Managing Director, JVVNL, Jaipur.
13.	P.A to the Director (Finance/Technical) IDD Ising

(Dr. R.P.Gupta)
Chief Accounts Officer (IA)